प्रेस नोट   बिजनौर पुलिस   दिनांक–31.10.2020

"लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल" की जयंती #RashtriyaEktaDiwas पर डॉ0 धर्मवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाये रखने की शपथ दिलाई गई व समस्त थाना प्रभारियो द्वारा समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण को अपने अपने थाना प्रांगण में शपथ दिलाई गयी।

थाना
देहात

पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा पुलिस कार्यालय पर प्रतिदिन की भॉति आमजन की समस्याओ को सुना गया तथा उनके निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया तथा महिला शिकायकर्ताओ के साथ आने वाले बच्चो को पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा टॉफियां वितरित की गयी।

आज दिनांक 31 -10- 2020 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपचुनाव की ड्यूटी में लगे अधिकारी/कर्मचारी गणों को ब्रीफ कर ड्यूटी के प्रति सचेत रहने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए व कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सैनिटाइजर, मास्क का वितरण कर, कोरोना से बचाव हेतु सावधानी रखने के लिए समझाया गया।

आज दिनांक 31-10-2020 को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जिला कारागार बिजनौर का औचक निरीक्षण कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये तथा कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत सावधानी बरतने हेतु जागरुक किया गया।

थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे 15,000/रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त आजम उर्फ काला की गिरफ्तारी के संबंध में।

मु0अ0सं0–794/2019 **धारा**–3(1) गैंगस्टर एक्ट **बनाम**–आजम उर्फ काला
दिनांक घटना–30.10.2020 **घटना स्थल**– गांव से करीब 100 कदम की दूरी
दिनांक गिर0/बरा0–30.10.2020 **गि0/बरा0 स्थल**– गांव से करीब 100 कदम की दूरी

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

1–आजम उर्फ काला पुत्र शहीद नि0ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा, बिजनौर

बरामदगी का विवरण–

01 तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग का विवरण–

मु0अ0सं0–171/2020 **धारा–3/25** शस्त्र अधिनियम बनाम आजम उर्फ काला

अपराधिक इतिहास

1– मु0अ0 स0–794/19 धारा 3(1) गैगस्टर एक्ट
2– मु0अ0स0 527/19 धारा 3/5/8 गौ0 नि0 अधि0 थाना चांदपुर
3– मु0अ0स0 171/20 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम

घटना का संक्षिप्त विवरण–

थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा **मु0अ0स0 794/2019 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट** मे वांछित चल रहे 15,000/रूपये पुरूस्कार घोषित अभियुक्त/बदमाश **आजम उर्फ काला** को दि0 30.10.2020 को अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। जिस संबंध में थाना हीमपुर दीपा पर **मु0अ0स0 171/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण–

थाना पुलिस टीम–1–उ0नि0 श्री सुभाष तोमर 2–का0 791 सुमित पंवार 3–का0 116 दुष्यंत मलिक थाना हीमपु दीपा, बिजनौर

स्वाट टीम– 1–उ0नि0 श्री मनोज परमार 2–उ0नि0 श्री संजय कुमार 3–का0 1002 मौ0 खालिद 4–का0 1326 मोहित शर्मा 5–का0 1579 रईश अहमद 6–का0 895 रणजीत मलिक 7–का0 12 दिग्विजय सिंह

*-

पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में समस्त थाना प्रभारी मय फोर्स के सभी बैंकों को चैक कर, बैंक में आने वाले लोगों को कोविड-19 से बचाव हेतु मास्क लगाने व कैश जमा करने/निकालने के दौरान सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखने हेतु बताया गया।

पुलिस लाईन में सेवानिवृत्त हुये पुलिस कर्मियो का विदाई समारोह।

आज दिनांक 31.10.2020 को पुलिस लाईन बिजनौर में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, श्रीमान संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी कार्यालय/लाईन श्रीमान शुभ सुचित द्वारा सेवानिवृत्त हुये उ0नि0 श्री शिव शंकर शर्मा, उ0नि0 श्री मथुरा प्रसाद, मुख्य आरक्षी श्री हरिशंकर अवस्थी को उपहार व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा पुलिस विभाग में दी गयी सराहनीय सेवा की प्रशंसा की व उनसे बातचीत कर उनके अनुभव को साझा किया तथा विदाई समारोह आयोजित कर ससम्मान विदाई दी गयी और उज्जवल भविष्य की कामना की गयी।

थाना किरतपुरः- थाना किरतपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त शाहरुख उर्फ शमसाद पुत्र जाकिर निवासी हुसैनपुर थाना किरतपुर को 250 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। बरामदगी के सम्बंध में मु0अ0स0 331/20 धारा 18/20 NDPS Act पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना स्योहाराः- थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1- जॉनी पुत्र सुरेश सिंह निवासी ग्राम मंडोरी थाना स्योहारा 2 -गौरव पुत्र विनोद सिंह निवासी ग्राम मंडोरी थाना स्योहारा 3- सुनील कुमार पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम मंडोली थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को सट्टे की खाई बॉडी करने व कब्जे से 1230 बरामद होने के संबंध में मु0अ0संख्या 558 / 20 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना कोतवाली शहरः- थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त शुभम शर्मा पुत्र श्री बिल्ले शर्मा निवासी मौ0 खत्रीयान थाना कोतवाली शहर को 300 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया। इसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 737/20 धारा 18/20 NDPS Act पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना स्योहाराः- थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तगण 1- विनोद पुत्र रामगोपाल निवासी ग्राम पुरैना थाना नूरपुर 2- तेज कुमार पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम हरौली थाना स्योहारा 3- सुमित पुत्र रघुनाथ निवासी ग्राम ज्योतिम्मा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना किरतपुरः- थाना किरतपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त रितु सिंह पुत्र मुनेश्वर निवासी रतनपुर थाना किरतपुर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

जनपद बिजनौर दिनांक–31.10.2020

कोतवाली शहर एंटी रोमियो प्रभारी उ0नि0 कुमारी आशा तोमर द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत कोतवाली शहर बिजनौर में चैंकिग अभियान चलाते हुये।

थाना स्योहारा की एंटी रोमियो टीम द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत थाना क्षेत्र के ग्रामं बेरखेडा में व एवरेस्ट इंस्टीट्यूट कस्बा स्योहारा में महिलाओ/अध्यापिकाओ/छात्राओ को हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि के बारें जागरुक किया। साथ ही कोरोना से बचाव हेतु मास्क पहनने तथा दूरी बनाए रखने और जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में बताया।

थाना हीमपुर दीपा की एंटी रोमियो टीम द्वारा अपने क्षेत्र/बाजार/बसो में जाकर बालिकाओं को उ0प्र0 सरकार द्वारा महिलाओं एवं वालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये मिशन शक्ति के रूप में विशेष अभियान के सम्बन्ध में जागरूक कर चैकिंग अभियान चलाया।

थाना धामपुर की एंटी रोमियो टीम द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत थाना धामपुर क्षेत्रान्तर्गत लाला केदारनाथ सरस्वती बालिका विद्यालय में अध्यापिकाओ/छात्राओ को हैल्पलाईन नंबर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 आदि के बारें जागरुक किया। साथ ही कोरोना से बचाव हेतु मास्क पहनने तथा दूरी बनाए रखने और जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में बताया तथा क्षेत्र में चैकिंग अभियान चलाया।